न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 142/2002 पुनः दर्ज 190/2013

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. जोगाराम पुत्र लाबुराम
जाति-कुमावत, निवासी-बांझाकुडी
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. कालूराम पुत्र नारायणलाल
जाति-जाट, निवासी-बांजाकुड़ी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 07/12/2002

तारीख रजू:. 27/06/2013

उपस्थितः. 1. श्री भंवरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/06/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-बांझाकुडी, तहसील-जैतारण में वादी के कब्जा काश्त सुदा खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 363 रकबा 3 बीघा वाके हैं। जिसकी खातेदारी व नक्शा ट्रेस साथ पेश की हैं। वादी की भूमि के पश्चिमी तरफ प्रतिवादी अतिक्रमण करके सरकारी गौचर भूमि पर नाजायज कब्जा किये हुए। उस बाबत् माकुल कार्यवाही न होने से 2-3 बार हटाने के बाद भी वापिस कब्जा कर लेता हैं। अतः उसका कोई स्टेट्स हीं नही हैं। वादी की भूमि के पश्चिमी तरफ उसका पुराना पाला लगाया हुआ है व उस पर बाड़ की हुई हैं व पाले पर बर्डे-बर्डे पेड खडे हैं। वादी एक गरीब व सीधा साथा किसान है व प्रतिवादी संख्या व ताकत में ज्यादा हैं व हर वक्त बल व ताकत के आधार पर वादी के थाले व बाड के साथ छेड छाड करता हैं। वादी की गैर मौजूदगी में पाले पर स्थित बाड पर तोडफोड कर देता है व नुक्शान पहुचाता है व धमकी देता हैं कि वह वादी का पाला तोड करके उसके खेत पर कब्जा कर लेगा। अन्यथा यह जमीन उसे बेच दें। वादी ने इस जमीन में हजारों रूपये लगा करके जमीन को उपजाऊ बनाया है व इस जमीन मे वादी का बेरा चालू हालात में हैं व इंजन से पानी निकाल करके फसल की पिलाई करता हैं। प्रतिवादी ने अगर वादी की जमीन में दखलनदाजी कर पाला व बाड तौड दी, तो उसे हजारो का नुक्शान होगा व वर्षा में खेत में ठहरनें वाला पानी भी नहीं ठहरेगा। इससे पैदावार पर भी असर पडेगा। दिनांक 06/12/2002 को वादी को प्रतिवादी ने धमकी दी कि 3 व 4 दिन में जमीन का बेचान उसे कर दें। अन्यथा वह पाला तोड करके कब्जा कर लेगा। जबकि इस जमीन व पाला पर उसका कोई हक या अधिकार नहीं हैं, न वह ऐसा करने का अधिकारी हैं। बिनायदावा तारीख 04/11/2002 को पाला

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तोडने की धमकी देने पर बमुकाम–बाझाकुडी, तहसील–जैतारण में उत्पन्न हुआ, जो अन्दर मयाद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार का हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बांजाकुड़ी में पेश हुई। प्रतिवादी की शहादत पेश करने का समय चाहते हैं। बार–बार समय दिए जाने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा शहादत पेश नहीं करने से बन्द की जाती हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार हैं। वादी एवं शहादत से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखल करता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बांझाकुडी, तहसील–जैतारण में वादी के कब्जा काश्त सुदा खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 363 रकबा 3 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बांजाकुड़ी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :–

बनाम प्रतिवादीगण :–

वादी :–

1. जोगाराम पुत्र लाबुराम
जातिकुमावत, निवासीबांझाकुडी
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. कालूराम पुत्र नारायणलाल
जाति–जाट, निवासी–बांजाकुड़ी
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

2. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:142/2002
पुनः दर्ज 190/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री भंवरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बांझाकुडी, तहसील–जैतारण में वादी के कब्जा काश्त सुदा खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 363 रकबा 3 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ...–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	03-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	05-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजानः–	12-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner